न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–112/2025

निपु चौधरी.....वादी

बनाम

हीरा चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.11.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि विवादित भूमि का पूर्ण विवरण इस आवेदन के अनुसूची–01 में दर्ज है। वादी द्वारा इस वाद में विवादित भूमि पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध और अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के लिए आदेश 39 नियम 01, 02 तथा धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। निषेधाज्ञा आवेदन पर विधि पूर्वक आदेश पारित करने के लिए यह आवश्यक है कि विवादित भूमि का फोटोग्राफ तथा विवादित भूमि का यथास्थिति का प्रतिवेदन लिया जाए। लेहाजा एक अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप का प्रतिवेदन मांग लिया जाए, ताकि न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का स्वरूप आ सके। अधिवक्ता आयुक्त की बहाली में आने वाले खर्च को वादी वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 04.11.2025 को स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें। इस वाद में प्रतिवादीगण की ओर से वादी का आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। स्वत्व वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस सम्बन्ध में अधिवक्ता आयुक्त से	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–112/2025

निपु चौधरी.....वादी

बनाम

हीरा चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.01.2026	प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि वादी अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 04.11.2025 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर न्यायालय में समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादी के द्वारा वहन किये जायेंगे। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि जाँच में अधिवक्ता आयुक्त का सहयोग करें। कार्यालय रिट जारी करें। वाद दिनांक 04.02.2026 को अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	